

#### FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.) प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (ज़िला): GURUGRAM P.S. (थाना): SECTOR-5, Year (वर्ष): 2016

**GURGAON** 

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0555 Date (दिनांक): 09/08/2016

23:57

2. S.No. Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ)) (क्र.सं.) 1 Scheduled Castes and 3 Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Amendment 2015) 189 2 IPC 1860 3 IPC 1860 186

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Tuesday Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

09/08/2016 09/08/2016

Time Period (समय अविध): Pahar Time From (समय से): 00:00 Time To (समय तक):

1 hrs 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां Date (दिनांक): Time (समय):

सूचना प्राप्त हुई): 09/08/2016 23:00 hrs

(c) General Diary Reference Entry No. (प्रविष्टि सं.): Time (समय):

(रोजनामचा संदर्भ): 061 09/08/2016

23:48 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



#### **FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

#### प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

#### 5. Place of Occurrence

#### (घटनास्थल):

- 1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 1.3 Km Beat No. (बीट सं.):
  - (b) Address (पता): लक्ष्मण विहार फेस-2, GURGAON,
  - (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

# 6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): LCT रित् बाला न0 3182GGN
- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
- (e) UID No. (युआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) Occupation (व्यवसाय):
- (h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (ਧੰਗ)
1	Present Address	POLICE LINE GURGAON, POLICE LINE GURGAON, GURGAON CITY, GURUGRAM, HARYANA, INDIA



#### FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

#### प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

2	Permanent Address	POLICE LINE GURGAON, GURGAON CITY,
		GURUGRAM, HARYANA, INDIA

Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	सविता दहिया		Father's Name: रघुवीर दहिया

- 8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
- 9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)		Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु	
			में))	

- 10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):
- 11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
(31.1(11)	



#### **FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.) प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

# 12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे SHO साहब थाना SEC-5 गुडगाँव। निवेदन है कि मैं L/CT रितू बाला न0 3182/GGN पिछले करीब 2 महिने से सविता दहिया के पास बतौर प्रोटैक्शन डयुटी नियुक्त हूँ मैं सविता दहिया के पास पहली बार डयुटी पर गई थी तो उसने सबसे पहले मेरी जाति पुछी जिसे मैंने बतलाया कि मैं SC जाति से हुँ उसके बाद सविता दहिया जाति सूचक शब्द कह कर गलत व्यवहार करने लगी और मेरे से नौरकी से सस्पैण्ड कराने की धमकी देती थी व अपने नीजि घरेलू काम कराने के लिये मजबूर करती थी और कहती थी कि मैंने तुम्हारे बडे- बडे अफसरों के खिलाफ शिकायत दे रखी है तुम तो सिपाही हो तुम्हे भी मैं नौकरी करनी सिखा दूंगी और तुम्हारी शिकायत अफसरों को भेज दूंगी और ऐसे आरोप लगाऊंगी तुम सपने मे भी नही सोच पाऔगी और कई बार डयुटी के दौरान सार्वजनिक स्थानो पर भी जाति सूचक शब्द कहे मैं नौकरी के डर के मारे उसकी यातनाएं सहती रही और किसी अफसर को भी डर के मारे नहीं बताया जो आज दिनांक 09.08.16 को अपनी डयुटी पर मौजूद थे कई मैं वा अंजू महिला सि0 न0 3523 सविता के निवास स्थान पर थे जिसने आज एक दम अचानक से कहा कि तुम जैसी चूहडी चमारी बदसूरत महिला सिपाही मुझे नहीं चाहिये और हमारे साथ अभद्र व्यवहार करना शूरू कर दिया और मुझे जाति सूचक शब्द कहे और कहा कि तुम दोनो मेरे घर से भाग जाओ इससे पहले L/CT सुनिता न0 751 जो सविता दहिया की प्रोटैक्शन पर थी उसके साथ भी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके यातनाएं देती थी जिसने SEC-5 थाना में रपट भी लिखित में दर्ज करा रखी है जो सुनीता ने मुझे पुलिस लाईन में मिलने पर बतलाई थी जो सविता दहिया D/O रघुवीर दहिया के खिलाफ कानुनी कार्यवाही की जाये। SD-LCT रितूबाला NO.-3182/GGN, MOB. 9468324870, DT. 09.08.16 अज थाना:- मुदईया महिला सि0 रितूबाला न0 3182 उपरोक्त ने हाजिर थाना आकर उपरोक्त दरखास्त पेश की जो दरखास्त के मजबुन से सरेदस्त सूरत जुर्म 3-33-89 SC-ST ACT 186/189 IPC का होना पाया जाता है। जिस पर मुकदमा न0 555 DT. 09.08.2016 U/S 3-33-89 SC-ST ACT 186/189 IPC PS SEC-5 GGN दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्टर द्वारा प्रांगार प्रतियां तैयार कि गई जो बजरिया EMAIL अफसरान बाला वा डयुटी मैजिस्ट्रेट की सेवा में भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल दरखास्त आगामी ताफतीश हेतू बदस्त सि0 सुनिल 1927 निज्द सहायक पुलिस आयुक्त शहर ग्डगाँव भेजी जा रही है।



#### FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.) प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के Rank (पद): Asst. SI (Assistant Grant (प्रकरण दर्ज किया गया): or (या) Sub-Inspector)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
  Jitender Singh

No. (सं.): 1897 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर):

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया District (ज़िला):
- <sup>(4)</sup> Transferred to P.S. (থানা):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): anil kumar

**14.** 



#### **FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सिहंता के तहत)

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): INSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



#### FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.) प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )  $\,$ 

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female		NORMAL/ME DIUM		BROWNISH DARK	Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (ऑखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialec t (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



#### **FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.) प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)